

## अभ्यर्थी का शपथ पत्र

(10 रूपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा प्रदत्त शपथ पत्र)

समक्ष प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, लखीमपुर खीरी।

- 1-मैं.....पुत्र/पुत्री.....बैच-2024-25 स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, लखीमपुर खीरी, का छात्र हूँ। मैंने रैगिंग निषेध से सम्बन्धित निर्देशों को ध्यान पूर्वक पढ़ लिया है तथा पूर्णतया समझ लिया है। मैंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग से सम्बन्धी विनियम-2009 की एक प्रतिलिपि प्राप्त कर ली है तथा ध्यान से पढ़ लिया है।
- 2-मैंने मुख्य रूप से विनियम 3 को पढ़ एवं समझ लिया है, और मैं यह जानता/जानती हूँ कि रैगिंग के क्या मायने हैं।
- 3-मैंने धारा 7 तथा धारा 8.1 विनियम को समझ लिया है अगर मैं किसी तरह की रैगिंग के लिए उकसाता हूँ या किसी तरह की रैगिंग में संलिप्त पाया जाता हूँ तो प्रशासन मेरे खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही कर सकता है।
- 4- मैं निश्चित ही यह प्रयत्न करूँगा/करूँगी कि -  
क-मैं किसी की रैगिंग जो कि धारा 3 विनियम में उल्लेखित है, में संलिप्त नहीं हूँगा/हूँगी।  
ख-मैं किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं हूँगा/हूँगी जो रैगिंग की धारा 3 विनियम के अन्तर्गत आती हो।  
ग- मैं किसी भी प्रकार की रैगिंग में संलिप्त नहीं हूँगा/हूँगी अथवा किसी भी प्रकार से रैगिंग का प्रचार नहीं करूँगा/करूँगी।
- 5-मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि अगर मैं रैगिंग के मामले में दोषी पाया गया/पायी गयी तो मुझे विनियम 8.1 के अनुसार दण्ड दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कानूनी प्रावधान के अन्तर्गत अपराधिक गतिविधियों में मेरे विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
- 6-मैं यह भी घोषित करता/करती हूँ कि मेरे विरुद्ध देश की किसी भी संस्था द्वारा रैगिंग मामले में प्रतिबंध नहीं लगाया गया है और यदि ऐसा पाया जाता है तो मेरा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

दिनांक

शपथी के हस्ताक्षर

नाम:-.....

पता:-.....

.....  
.....

स्टेट रैंक:-.....

मो0 नं0:- .....

### सत्यापन

मेरे द्वारा सत्यापन के पश्चात पाया गया कि शपथ पत्र में धारा 1 से 6 तक मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही है तथा कोई तथ्य गलत नहीं है। शपथ पत्र में किसी भी तरह के तथ्य को नहीं छिपाया गया और न ही गलत बयान दिया गया है।

शपथी के हस्ताक्षर.

अभ्यर्थी ने हमारी उपस्थित में शपथ पत्र में दिनांक..... को दिये गए तथ्य को पढ़ने के उपरान्त शर्तों को स्वीकार किया तथा हस्ताक्षर किए।

शपथ आयुक्त

## पिता/अभिभावक का शपथ-पत्र

(10 रूपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा प्रदत्त शपथ पत्र)

समक्ष प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, लखीमपुर खीरी।

- 1- श्री/श्रीमती/सुश्री ..... पुत्र/पत्नी .....  
निवासी.....का पुत्र/पुत्री .....  
एन0ई0ई0टी0-2024-25 रोल नंम्बर..... ने स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, लखीमपुर खीरी में प्रवेश लिया है। मैंने रैगिंग निषेध से सम्बन्धित निर्देशों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग से सम्बन्धी विनियम-2009 में उल्लिखित प्रावधानों को भली भाँति ध्यान से पढ़एवं समझ लिया है।
- 2- मैंने मुख्य रूप से विनियम 3 को पढ़एवं समक्ष लिया है और मैं यह जानता/जानती हूँ कि रैगिंग के क्या मायने हैं।
- 3- मैंने धारा 7 तथा धारा 8.1 विनियम को समझ लिया है और मुझे पूरी तरह से जानकारी है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में अगर मेरा पुत्र/पुत्री रैगिंग के लिए दोषी पाया जाता है या किसी तरह की रैगिंग के लिए उकसाता है या किसी तरह की रैगिंग में संलग्न पाया जाता है तो प्रशासन मेरे पुत्र/पुत्री के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही कर सकता है।
- 4- मैं शपथ पूर्वक यह सुनिश्चित करता हूँ कि :-  
क- मेरा पुत्र/पुत्री किसी तरह के रैगिंग, जो कि धारा 3 विनियम में उल्लेखित है,में शामिल नहीं होगा।  
ख- मैं अपने पुत्र/पुत्री को किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं हॉने दूँगा/दूँगी जो कि रैगिंग के धारा 3 विनियम के अंतर्गत आता हो।
- 5- मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि अगर मेरे पुत्र/पुत्री रैगिंग के मामले में दोषी पाया गया/पायी गयी तो मेरे पुत्र/पुत्री को विनियम 8.1 के अनुसार दण्ड दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कानूनी प्रावधान के अंतर्गत आपराधिक गति - विधियों में मेरे पुत्र/पुत्री के विरुद्ध देश की किसी भी संस्था द्वारा रैगिंग मामले में प्रतिबंध नहीं लगाया गया है और मेरे पुत्र पुत्री को ऐसे मामले में पाया जाता है तो मेरे पुत्र/पुत्री का प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

शपथी के हस्ताक्षर

नाम .....

पता.....

दूरभाष नं0.....

### सत्यापन

मेरे द्वारा सत्यापन के पश्चात पाया गया कि शपथ पत्र में दी गई जानकारी सही है तथा कोई तथ्य गलत नहीं। शपथ पत्र में किसी तरह के तथ्य को न ही छिपाया गया न ही गलत बयान दिया गया है।

शपथी के हस्ताक्षर

अभ्यर्थी ने हमारी उपस्थित में शपथ पत्र में दिनांक..... को दिये गए तथ्य को पढ़ने के उपरान्त शर्तों को स्वीकार किया तथा हस्ताक्षर किए।

शपथ आयुक्त.

## शपथ पत्र

( 10 रूपये के स्टाम्प पर नोटरी द्वारा प्रदत्त शपथ पत्र )

समक्ष प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, लखीमपुर खीरी।

एतद्वारा मैं..... पुत्र/पुत्री.....  
एन0ई0ई0टी0-2024-25 रोल नं0..... निवासी.....

..... शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, लखीमपुर खीरी में एम0बी0बी0एस0 में प्रवेश लेने हेतु मुझे निम्नलिखित सभी शर्तें व नियम स्वीकार हैं। इनमें से यदि किसी शर्त या नियम का पालन करने में असमर्थ रहा/रही तो मेरा प्रवेश किसी भी समय निरस्त कर दिया जाये, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी तथा इसके लिये मैं किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही नहीं करूँगा/करूँगी तथा न ही किसी अदालत का सहारा लूँगा/लूँगी और न ही किसी प्रकार का राजनीतिक दवाव डलवाने की कोशिश करूँगा/करूँगी।

1-मैं साधारणतः छात्र जीवनव्यतीत करते हुए पूर्ण रूप से अनुशासित रहकर अध्ययन करूँगा/करूँगी, कालेज एवं विश्वविद्यालय के सभी नियमों का पालन करूँगा/करूँगी।

2-मैं किसी प्रकार की राजनैतिक प्रक्रिया, किसी प्रकार की अवैधानिक हड़ताल आदि में प्रतिभाग नहीं करूँगी/करूँगा।

3-मैं अपने शिक्षकों, सम्बंधित कर्मचारियों तथा कालेज के अन्य व्यक्तियों, तथा साथियों से सदैव सद्भावना का व्यवहार करूँगा/करूँगी।

4-कालेज परिसर में अथवा छात्रावास में रहते हुए किसी प्रकार का असंगत वातावरण नहीं बनाऊँगा, तथा पूर्ण नशाबन्दी व अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रमों में विश्वास रखूँगा।

5-मैंने अपनी इन्टरमीडिएट परीक्षा वर्ष.....में उत्तीर्ण की है इसके पश्चात् वर्ष ..... से.....तक.....अध्ययन किया है/अध्ययन नहीं किया है।

6-मैं वर्तमान में किसी भी चिकित्सा महाविद्यालय/संस्थान/विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में अध्ययनरत नहीं हूँ। यदि यह पाया जाये कि मैं किसी अन्य चिकित्सा महाविद्यालय/संस्थान/विश्वविद्यालय के अन्य किसी पाठ्यक्रम में अध्ययनरत हूँ तो मेरा एम0बी0बी0एस0 2024-25 में प्रवेश निरस्त कर दिया जाये।

7- पिछले वर्ष की एन0ई0ई0टी0 से सम्बंधित मेरे द्वारा कोई याचिकालम्बित नहीं है।

8-मैंने हिपेटाइटिस बी वैक्सीन का एक इंजेक्शन लगवा लिया है जिसका प्रमाण पत्र जमा कर रहा/रही हूँ/मैंने उक्त इंजेक्शन नहीं लगवाया है। मैं इंजेक्शन लगवा रहा हूँ तथा अन्य दो डोज में निर्धारित समय पर अवश्य लगवा लूँगा/लूँगी।

9-एन0ई0ई0टी0- 2024-25 के सन्दर्भ में मेरे द्वारा दी गयी सूचना/विवरण/जमा किये गये प्रमाण-पत्र व अन्य घोषणायें यदि असत्य पाई जाये तो मुझे दोषी मानते हुए मेरा प्रवेश निरस्त कर दिया जाये।

मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि उक्त शपथ पत्र की धारा 01 से 09 तक मेरे जातीय इल्म से सत्य एवं वास्तविक है इसमें कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। इसकी तसदीक आज दिनांक: .....को की गयी।

पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर

## AGREEMENT BOND FOR CANDIDATES ADMITTED TO

..... COURSE ..... SESSION

THIS DEED OF AGREEMENT BOND IS EXECUTED AT

\_\_\_\_\_ ON THIS DAY OF \_\_\_\_\_

BETWEEN

NAME: \_\_\_\_\_

S/O, D/O, W/O \_\_\_\_\_

RESIDING AT (PERMANENT ADDRESS): \_\_\_\_\_

(TEMPORARY ADDRESS): \_\_\_\_\_

MOBILE NO: \_\_\_\_\_

E-mail ID: \_\_\_\_\_

AADHAR NO. \_\_\_\_\_

Hereinafter referred to as ("FIRST PARTY") of the one part

AND

Governor of Uttar Pradesh (here in after referred to as "Government") of the Second Part.

WHEREAS FIRST PARTY has applied for admission to \_\_\_\_\_ course and FIRST PARTY has been selected to the said course. As per the Prospectus, the FIRST PARTY has agreed to serve the Government for a period not less than Two year after successful completion of the \_\_\_\_\_ course. If the FIRST PARTY fails to serve the government for a period of **Two year** the FIRST PART shall forthwith pay a sum of **Rs.10 Lacs** for degree to Government at the specified Government Treasury. During the above period the FIRST PART shall be paid stipend and the Government will request their services within a period of three months from the date of successful completion of the \_\_\_\_\_ course. In case the Government does not provide services in mentioned period, the BOND shall be released; AND

WHEREAS the FIRST PARTY has also agreed that on successful completion of the \_\_\_\_\_ course his/her certificates relating to \_\_\_\_\_ course will not be given to the FIRST PARTY unless the FIRST PARTY successfully Serves the Government for a period of Two year or pay to the Government on demand the sum of Rs. \_\_\_\_\_ (Rupees \_\_\_\_\_) only.

if the FIRST PARTY fails to deposit the aforesaid amount in specified period, FIRST PARTY shall be liable to pay interest at the rates specified by the Government as per applicable law during the period of delay: AND WHEREAS the Government have, at the request of the FIRST PARTY \_\_\_\_\_ employed as \_\_\_\_\_ granted stipend to him/her for a period of 24 months with effect from \_\_\_\_\_ in order to enable his/her to study at \_\_\_\_\_ college AND WHERE AS if the FIRST PARTY \_\_\_\_\_ works for a period of less than 24 months during the \_\_\_\_\_ Super speciality course DM/MCH/ \_\_\_\_\_ Post Graduate Degree MD/MS/Diploma/MDS/Graduate Degree MBBS/BDS Course, the proportionate amount will be treated as stipend and the FIRST PARTY \_\_\_\_\_ shall pay back in addition to the security amount of Rs. \_\_\_\_\_ (Rupees \_\_\_\_\_ only) the balance amount of stipend to the Government. This bond shall in all respects be governed by the Laws of India, for the time being in force, and the rights and liabilities shall, where necessary, be accordingly determined by the appropriate courts in India.

NOW THIS DEED OF AGREEMENT BOND WITNESSES AS FOLLOWS:-

- 1- The FIRST PARTY has agreed to serve the Government for a period of Two year on successful completion of the \_\_\_\_\_ Super speciality course DM/MCH/ \_\_\_\_\_ Post Graduate Degree MD/MS/Diploma/MDS/ Graduate Degree MBBS/BDS course. If the FIRST PARTY fails to serve the Government for a period of Two year, FIRST PARTY shall pay forthwith a sum of Rs. \_\_\_\_\_ (Rupees \_\_\_\_\_ Only) to the Government in the specified Government Treasury.
- 2- The FIRST PARTY agrees that till the successful completion of the period of Two year service to the Government or till the payment of Rs. \_\_\_\_\_ Rupees \_\_\_\_\_ only is paid the certificates relating to \_\_\_\_\_ Super speciality Course DM/MCH \_\_\_\_\_ Post Graduate Degree MD/MS/ Diploma MDS Graduate Degree MBBS/BDS course shall be in the custody of the Concerned

Institution/University/College and the Government has a first lien over all the certificates gained by the candidates at the time of admission.

- 3- The FIRST PARTY authorizes the Concerned Institution/University/College for retention of the certificates till the lien of Government is cleared discharged.
  - 4- This BOND shall in all respect be governed by the Laws of India for the time being in force, and the rights and liabilities shall, where necessary, be accordingly determined by the appropriate courts in India.
  - 5- If the FIRST PARTY fails to deposit the aforesaid amount in specified period, FIRST PARTY shall be liable to pay interest at the specified by the Government as per applicable law during the period of delay, failing which Government shall have right to recover the aforesaid amount together with interest as arrear of land revenue.
  - 6- The FIRST PARTY shall borne the Stamp duty chargeable on this BOND
- IN WITNESS WHEREOF parties to this Deed have signed this BOND on the date first above mentioned.

For and behalf of

FIRST PARTY

( )

For and behalf of

Governor

( )

Witnesses:-